दिनांक : . .2023

प्रति,

विषय : हिन्दुओं के देवता, धर्मग्रंथ एवं श्रद्धास्थानों के विषय में आक्षेपार्ह वक्तव्य करनेवालों पर कठोर कार्यवाही की जाए, इसके साथ ही देवताओं का अपमान रोकने के लिए तत्काल कठोर 'ईशनिंदा विरोधी कानून' बनाया जाए, इस विषय में....

महोदय,

1. कनार्टक राज्य के म्हैसूर के हिन्दूद्रोही एवं वादग्रस्त प्राध्यापक के.एस्. भगवान ने करोडों हिन्दुओं के आराध्यदेवता प्रभु श्रीरामचंद्रजी का अपमान कर, जानबूझकर करोडों हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं पुन: एक बार आहत की हैं । कर्नाटक के मंड्या में हुए एक कार्यक्रम में प्रा. भगवान ने, ''भगवान श्रीराम पत्नी सीता के साथ दिनभर शराब पीते थे । राम आदर्श राजा नहीं थे । राम ने 11,000 वर्षे नहीं, अपितु केवल 11 वर्ष राज्य किया ।'' ऐसे अत्यधिक ही आक्षेपजनक विधान किए ।

इन वक्तव्यों का हिन्दू जनजागृति समिति तीव्र निषेध करती है । हिन्दू देवताओं का ऐसा अनादर करना, यह भारतीय दंडसंहिता के अनुसार अत्यंत गंभीर अपराध है ।

2. इससे पूर्व भी प्रा. भगवान द्वारा प्रभु श्रीरामचंद्र का इसी प्रकार अपमान किए जाने पर कर्नाटक के अनेक भागों में उनके विरोध में संतप्त आंदोलन हुए थे । अनेक पुलिस थानों में अपराध प्रविष्ट किया गया था । उन्हें बंदी भी बनाया गया था । उन्हें 'पुन: देवताओं के विषय में ऐसे विधान नहीं करेंगे', ऐसी शर्त रखते हुए जमानत पर छोडा गया था; परंतु उन्होंने इस शर्त का उल्लंघन करते हुए पुन: अक्षम्य अपराध किया है । इसलिए उनकी जमानत तुरंत रद्द कर, हिन्दूद्वेषी प्रा. भगवान को तुरंत बंदी बनाया जाए, ऐसी समिति की मांग है ।

3. इसी प्रकार नालंदा 'मुक्त विद्यापीठ'के दीक्षांत समारोह में बोलते समय बिहार के शिक्षामंत्री प्रा. चंद्रशेखर ने तुलसीदासजी द्वारा रचित 'श्रीरामचरितमानस'को 'द्वेष फैलानेवाला (नफरत फैलानेवाला) ग्रंथ', ऐसा कहते हुए 'श्रीरामचरितमानस' श्रेष्ठ संत द्वारा लिखे पवित्र ग्रंथ का घोर अपमान किया है । इसलिए हिन्दू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं । इस प्रकरण में उन्होंने इस आक्षेपार्ह वक्तव्य के विषय में क्षमा मांगने से नकार दिया है और अपने के वक्तव्य पर डटे हैं । यह एकप्रकार हिन्दुओं के धर्मग्रंथों का जानबूझकर अनादर कर, उस विषय में समाज में द्वेष फैलाने का प्रकार है । इसलिए हमारी मांग है कि बिहार सरकार तत्काल मंत्रीपद से हटाकर उनपर अपराध प्रविष्ट करे और कठोर कार्यवाही करे ।

4. इसी कडी में और आगे बढेंगे तो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि 'रामायण में 'ढोल गँवार सूद्र पसु नारी । सकल ताड़ना के अधिकार ।।' ऐसे कहा गया है । ऐसी पुस्तकों को अनुमति कैसे मिल जाती है ? इसे तो बहुत पहले ही जप्त हो जाना चाहिए था । इसप्रकार के अवमानजनक चौपाईयां अथवा दोहे समाप्त कर देने चाहिए ।' ऐसे वक्तव्य करना भी रामायण एवं श्रीरामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथों का घोर अनादर है । बिना अध्ययन किए ही केवल राजकीय लाभ के लिए हिन्दू धर्म की अपकीर्ति कर समाजमन में जानबूझकर गलतधारणा फैलाने का काम, समाजवादी पक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं । ऐसा वक्तव्य कर वे समाज में फूट डालकर, संघर्ष निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को उन

पर 'हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करना', 'हिन्दुओं के धर्मग्रंथों के विषय में गलतधारणा और द्वेष फैलाना', इसके साथ ही 'दो समाज में संघर्ष निर्माण कर देश की एकता संकट में डालना' इसके लिए अपराध प्रविष्ट कर तुरंत बंदी बनाए जाए ।

कुल मिलाकर भारी मात्रा में जात-धर्म-पंथ-भाषा आदि के माध्यम से समाज में जानबूझकर फूट डालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है । उसमें भी अंग्रेजों की नीति 'फूट डालो और राज्य करो' का उपयोग कर विशेषरूप से हिन्दू समाज को तोडने का काम शुरू है । देश की एकता, अखंडता, बंधुता को संकट में डालकर देश की कानून एवं सुव्यवस्था बिगाडी जा रही है । अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर हिन्दुओं के देवी-देवताओं के विषय में आक्षेपार्ह, अश्लील वक्तव्य कर हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत कर समाज में तनाव निर्माण किया जा रहा है ।

विद्यमान भारतीय दंड संहिता में 'धारा 295 (A)' यह धार्मिक भावना आहत करने के संदर्भ में कानूनी धारा अस्तित्व में है; परंतु दोषियों पर कानूनन कार्यवाही करनी हो, तो राज्यशासन की अनुमति लगती है । सरकार को यदि लगे कि इससे धार्मिक भावना आहत हुईं हैं अथवा कानून-सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हुआ है, तब ही दोषियों पर कार्रवाई हो सकती है; परंतु ऐसा कभी-कभार ही होता है । इसलिए अपराधियों को दुस्साहस बढता है । इसके परिणामस्वरूप बहुतांशप्रसंग में देवी-देवताओं के अनादर के विषय में कानूनन कार्रवाई करने में अनेक मर्यादाएं आती हैं ।

अत: ऐसी असंख्य घटनाओं में अभिव्यक्ति एवं कला स्वतंत्रता के नाम पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती । फिर हिन्दुओं की आहत हुई भावनाओं का क्या ? इसका विचार सरकार करेगी या नहीं ? भारत के संविधान में भी प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, उसके आधार पर हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं संजोने की स्वतंत्रता है । समाज में फूट डालनेवाली इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लाने के लिए उपाय के तौर पर एक कठोर 'ईशनिंदा विरोधी कानून'की आवश्यकता है । इसलिए शासन ऐसे आक्षेपार्ह वक्तव्य, पुस्तक, नाटक, चलचित्र, विज्ञापन, काव्य, चित्र आदि द्वारा हिन्दू धर्म, धर्मग्रंथ, देवता, संत एवं राष्ट्रपुरुषों का होनेवाला अनादर रोकने के लिए कठोर कानून बनाए, ऐसी मांग हम कर रहे हैं ।

आपका विश्वसनीय,